पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 181/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
2. पवन पुत्र रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
3. दवकी पुत्री रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
4. सिलोचना पुत्री रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
5. कृष्णादेवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल।
6. रवीदेश पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन झांसल।
7. ममता पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन झांसल।
8. प्रबंधक एसबीआई शाखा छानीबड़ी।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 लीलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 8 श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद ग्राम 2 जेएसएल के मु0नं0 31 के किला नं0 2/1, 3/1, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की कुल 1.265 है0 कृषि भूमि में से मु0नं0 31 के किला नं0 13 में 0.025 है0 कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी सं0 8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 181/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
2. पवन पुत्र रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
3. दवकी पुत्री रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
4. सिलोचना पुत्री रूपचन्द जाति जाट निवासी झांसल।
5. कृष्णादेवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल।
6. रवीदेश पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन झांसल।
7. ममता पुत्री मोहनलाल जाति जाट साकिन झांसल।
8. प्रबंधक एसबीआई शाखा छानीबड़ी।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : **वादी**
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : **प्रतिवादी 1 ता 5**
वकील श्री संदीप गोदारा : **प्रतिवादी सं0 8**

निर्णय **दिनांक :** 12.6.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम 2 जेएसएल के मु0नं0 31 के किला नं0 2/1, 3/1, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की कुल 1.265 है0 भूमि पर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि एसबीआई शाखा छानीबड़ी के रहन दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि में से विद्यादेवी पत्नी रूपचन्द द्वारा मु0नं0 31 के किला नं0 13 में रकबा 0.025 है0 पर आईडिया कम्पनी का मोबाईल टावर लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैरकृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। मु0नं0 31 के किला नं0 13 की खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यो के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि दावा परोपर प्रफोर्मा में नहीं है तथा दावा में वाद हेतुक व वाद कारण के बिनाय मुखास्मत दर्ज नहीं की गई है ना ही पक्षकारान के रजिस्टर्ड पते की मद दर्ज की गई है। जबकि दावा प्रोपर प्रफोर्मा में होना आवश्यक है व प्रतिवादी सं0 6 व 7 नाबालिग है जिनके कुदरती वली संरक्षक को पक्षकार नहीं बनाया जाकर नाबालिग के विरूद्ध वाद दायर किया है। इसलिए उक्त वाद काबिले खारिज है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि चक 2 जेएसएल के मु0नं0 31 के किला नं0 13 की खातेदारी को बिना किस्म परिवर्तित करवाये ही आईडिया कम्पनी का मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य के रूप में व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग में लेने के कारण वाद भूमि को सिवाय चक घोषित कराने के अधिकारी है ?

   — वादी

2. आया वादभूमि बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के रहन होने के कारण रहन मुक्त होने से पहले उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित नहीं किया जा सकता ?

   — प्रतिवादी

3. आया कि वाद भूमि में व्यवसायिक उपयोग में लाने टॉवर की कृषि भूमि से अकृषि में संपरिवर्तन कराना आवश्यक नहीं है ?

   — प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में हल्का पटवारी मंगलविकास पुत्र श्री विजय कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रति चक 2 जेएसएल के खाता सं0 133/129 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में रामेश्वर के सशपथ बयान करवाये गये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपनी बहस में पेरोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार विद्यादेवी, पवन, दवकी, सिलोचना, कृष्णा देवी, रवीदेश, ममता के विरूद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 3 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार काश्तकार ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

. हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण विद्यादेवी, पवन, दवकी, सिलोचना, कृष्णा देवी, रवीदेश, ममता ने कुल कृषि भूमि 1.265 है0 में से किलानं0 13 में रकबा 0.025 है0 पर मोबाईल टावर लगाकर अकृषि कार्य में उपयोग बिना किसी विधि सम्मत आदेश, सम्परिर्वतन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अत : अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है।

प्रतिवादीगण ने अपनी तनकी के पक्ष में Government of rajasthan Department of urbane Development and housing no.f.10(147) UDH/3/2008part-III jaipur, date 6feb2017 का आदेश पेशकर निवेदन किया कि मोबाईल टावर हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्टेट द्वारा दावा 21.06.16 को पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा मोबाईल टावर की स्थापना व संचालन हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गई थी या वर्तमान में अनुमति प्राप्त की गई है। प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति मोबाईल टावर की स्थापना करके कृषि भूमि को अकृषि कार्य. में प्रयोग किया गया जो कि जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। प्रतिवादीगण अपनी तनकी साबित करने में असफल रहा है। उक्त तनकी सं0 1 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण द्वारा रहनशुदा भूमि पर टावर लगाया गया या टावर स्थापित होने के बावजूद भूमि कृषि ऋण हेतु रहन रखी गई प्रतिवादी सं0 8 को वादी से कोई सीधा अनुतोष नहीं चाहिए न ही वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 8 से कोई अनुतोष चाहा गया है। वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा है। बैंक द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी वसूली हेतु बैंक सम्बंधित पक्षकारान/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विधि सम्मत कार्यवाही हेतु स्वंत्र है, मगर बैंक ऋण के कारण वादी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। वादी अपनी तनकी साबित करने में सफल रहा है, इसलिए वादी वाद भूमि से प्रतिवादीगण की बेदखली का अधिकार रखता है।

अत : तनकी सं0 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हस्तगत प्रकरण में तीन तनकीयात कायम की गई थी जो कि वादी के पक्ष में तय की जा चुकी है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वाद ग्राम 2 जेएसएल के मु0नं0 31 के किला नं0 2/1, 3/1, 8, 9, 12, 13, 18, 19 की कुल 1.265 है0 कृषि भूमि में से मु0नं0 31 के किला नं0 13 में 0.025 है0 कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी सं0 8 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ